

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

श्री अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

99/2000

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2000/00003

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नैनाराम पुत्र घमण्डाराम
2. मांगीलाल पुत्र घमण्डाराम
3. विशनाराम पुत्र घमण्डाराम
4. सुजकी पत्नि शिविया
जाति भील निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा


1. चम्पाराम पुत्र रामाराम जाति भील
निवासी पचपदरा जिला बालोतरा
2. ओमाराम पुत्र बाबुराम जाति भील
निवासी पचपदरा जिला बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जारिए
3/1. तहसीलदार पचपदरा
3/2. हल्का पटवारी पचपदरा
4. कमलादेवी पत्नि जैसाराम जाति भील
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
5. सूजोदेवी पत्नि भट्टाराम जाति भील
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
6. सुन्दरदेवी पत्नि राणाराम जाति भील
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
7. पूर्णिमादेवी पत्नि राणाराम जाति भील
निवासी जागसा तहसील पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5,6
3. श्री उम्मेदसिंह चंपावल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 07
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एकतरफा।




 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 12/08/2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मुतवफी रामा पुत्र मोती की स्व-अर्जित भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 394, 395, व 75 कुल रकबा 49.05 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) रामा पुत्र मोती का जायन्दा पुत्र हैं, जो कि आदतन झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति व शराब का आदी है, जो रामा का भरण-पोषण व सेवा चाकरी नहीं करता था। इस कारण रामा वादीगण के साथ ही रहता था तथा वादीगण ही रामा की सेवा-चाकरी करते थे। वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर रामा ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 395 व 75 की वसीयत वादी संख्या 01 से 03 के पक्ष में व खसरा संख्या 395 की वसीयत वादीनी संख्या 04 के पक्ष में दिनांक 01.05.1992 को उप पंजीयन कार्यालय पचपदरा में पंजीबद्ध करवाई गए। रामा की उक्त वसीयत आखिरी व अंतिम थी। तत्पश्चात् रामा का देहान्त हो गया। रामा के देहान्त के पश्चात् वादीगण द्वारा वसीयत के आधार पर हल्का पटवारी से नामान्तकरण भरने का निवेदन किया गया। तब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि रामा के फौत होने पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तकरण दायर हो चुका है, जो कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हल्का पटवारी से मिली-भगत करते हुए वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दायर करवा दिया गया। उक्त अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 75 भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में कर दिया गया, जो कि बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी के श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् आगे ओर बेचान प्रतिवादी संख्या 04 से 07 को किए गए। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा तथा रामा द्वारा वादीगण के पक्ष में वसीयत कर रखी है। वादीगण का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 394 व 75 वादी संख्या 01 से 03 की खातेदारी व खसरा संख्या 395 वादीनी संख्या 04 की खातेदारी में घोषित की जावे। प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा-काश्त में दखलदांजी नहीं करे। दौराने दावा प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर दे ते, उनका कब्जा भूमि पर से हटाया जाकर भूमि का कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा बेचाननामा प्रभाव शून्य करार दिलवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 5,6 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,



गया। प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।।

3.प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादीगण की ओर से वाद-पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है,जिसमें सफलता मिलने की संभावना नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि मुतवफी रामा की स्वयं अर्जित न होकर पुश्तैनी भूमि है। रामा का प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) जायन्दा पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 01 रामा के साथ ही निवास करता था तथा रामा के साथ ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त चला आ रहा था। प्रतिवादी संख्या 01 ही रामा का भरण-पोषण व सेवा चाकरी करता था। वादीगण,जो कि रामा के भाई के पुत्र हैं,जिन्हे फर्जी तरीके से तथाकथित वसीयत बनाए गई है,जो कि जालसाजी के तहत तैयार की गई है। रामा के फौत होने पर उसके जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त चला आ रहा था। हल्का पटवारी द्वारा मौका स्थिति एवं रामाराम के जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 होने के कारण बाद जांच फौतदगी नामान्तकरण विधि सम्मत् पारित किया गया। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक-हकूक नहीं बनता है, और न ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त रहा है। उनके द्वारा केवलमात्र तथाकथित वसीयतनामा को आधार बताकर वाद-पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वादीगण तथाकथित वसीयतनामा से प्राप्त अधिकार सक्षम न्यायालय से तय नहीं करवाये जाते हैं, तब तक वादीगण का वसीयतनामा के आधार पर वाद-पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खातेदार होने के अधिकार पर वादग्रस्त भूमि में से खसरा संख्या 75 की भूमि प्रतिवादी संख्या 02 को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के बेचान की गई है तथा वक्त बेचान प्रतिवादी संख्या 02 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाए बिना विषयक वाद चलने योग्य नहीं हैं। अंत वादीगण का वाद काल्पनिक तथ्यों एवं तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे

4. प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार कि वादीगण का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि रामा की स्व-अर्जित न होकर पुश्तैनी भूमि है। पुश्तैनी भूमि में रामा के वारिसान का विधिक अधिकार जनम से ही निहित होता है। रामा का प्रतिवादी संख्या 01 जायन्दा पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 01 ही रामा की भरण-पोषण व सेवा चाकरी करता था। रामाराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में किसी प्रकार वसीयत लिखकर नहीं दी गई थी,बल्कि वादीगण द्वारा फर्जी तरीके से तथाकथित वसीयतनामा लिखवाया गया है,लेकिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त वादीगण का नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 01 का ही है। रामा के फौत होने



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पर वादग्रस्त भूमि का फौतदगी नामान्तकरण उसके जायन्दा पुत्र चम्पा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में पारित हुआ, जो कि उसका हकदार था। प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या 75 की भूमि का सप्रतिफल प्राप्त करते हुए पंजीबद्ध दस्तावेज के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान किया गया। वक्त खरीद से आदिनांक खसरा संख्या 75 पर प्रतिवादी संख्या 02 का ही कब्जा-काश्त चला आ रहा है। अंत वादीगण का वाद मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार कि वादीगण की ओर से वाद-पत्र काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लाया गया है, क्योंकि वादीगण केवलमात्र तथाकथित वसीयतनामा को आधार बताकर वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का लाया गया है, जो वसीयतनामा अपने आप में फर्जी तरीके से तैयार किया गया है, बल्कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है, जो रामा पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज थी, रामा के फौत होने पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या 394 व 395 कुल रकबा 9.15 बीघा भूमि का सप्रतिफल प्राप्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 06 (सुन्दर देवी) को बेचान किया गया तथा वक्त खरीद कब्जा सुपुर्द किया गया तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा उक्त खसरा 394 व 395 की भूमि आगे बेचान प्रतिवादी संख्या 07 को जरिए रजिस्ट्री विक्रय-पत्र की गई ओर वक्त खरीद से आदिनांक प्रतिवादी संख्या 07 (पूर्णमा देवी) का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हकूक नहीं बनता है। इस कारण प्रतिवादी के पक्ष में वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे, कि प्रतिवादी के कब्जा-काश्त में वादीगण किसी प्रकार की रोक-टोक व दखलदांजी नहीं करे।

6. वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी के जवाब का खण्डन करते हुए जवाबुल-जवाब प्रस्तुत किया की वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से रामा का कब्जा-काश्त होने के कारण उसके नाम खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी न होकर रामा की खातेदारी की रही। रामा की पत्नि उकी, जो प्रतिवादी संख्या 01 माह के करीब उम्र के पुत्र को साथ लेकर सोमाराम भील निवासी वेदरलाई के साथ भाग गई थी तथा सोमाराम के उकी से 08 संतान पैदा हुई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 सोमाराम को ही अपना पिता मानता था। समाज की पंचायती होने के बावजूद उकी व सोमाराम ने प्रतिवादी संख्या 01 को नहीं लौटाया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) सोमाराम के साथ वेदरलाई ही रहता था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कमी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। रामा अकेले होने के कारण वादीगण के साथ ही रहता था तथा वादीगण ही रामा की सेवा चाकरी करते हैं। रामा ने अपने जीवनकाल में ही अपनी इच्छा से वादग्रस्त भूमि वादीगण के पक्ष में वसीयत कर दी



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गई थी। वसीयतनामा पंजीयक कार्यालय पंचपदरा में पंजीबद्ध हो रखा हैं, जो कि वैध दस्तावेज हैं। वादीगण से प्रतिवादी संख्या 02 व उसके पिता बाबुलाल रंजिश रखते थे। इस कारण रामा के फौत होने पर हल्का पटवारी से मिलिभगत करते हुए रामा के फौतदगी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में भरवा दिया गया। वादीगण की जानकारी में आते ही हस्तगत वाद पेश किया गया। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बोकस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 को अवैध बेचान किया गया, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, क्योंकि प्रतिवादी का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त नहीं रहा हैं। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

7. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण के जवाबुल जवाब का प्रतिउत्तर दिया कि वादी पक्ष द्वारा मनगढन्त काल्पनिक तथ्यों के आधार पर जवाबुल-जवाब पेश किया गया है, क्योंकि वादीगण का यह कथन गलत है कि रामाराम के पत्नि उकी देवी, प्रतिवादी संख्या 01 दो माह का था, तब सोमाराम के साथ भाग गई हो। जबकि हकीकत यह है कि रामा के साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 रहता था। रामाराम ने पहले राणी देवी से शादी की, राणीदेवी 06 माह रामा के साथ रहकर बाद में छोड़कर चली गई। बाद में रामा ने प्यारीदेवी से शादी की गई। प्यारीदेवी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस कारण रामाराम ने उकीदेवी से शादी की गई, उकीदेवी रामाराम के साथ तीन साल रही। उसके बाद सोमाराम के साथ नाता चली गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के साथ ही रहता था। प्यारीदेवी व रामाराम के फौत होने पर क्रिया-कलाप का पुरा खर्च प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ही उठाया गया था। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ही रामा की सेवा चाकरी करता था, लेकिन वादीगण द्वारा साजिश के तहत रामा को बहला फुसला कर फर्जी तरीके से वसीयतनामा लिखा दिया गया, जो कि बोकस दस्तावेज के आधार पर खातेदारी मिल नहीं सकती है, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष का ही रामाराम के वाद मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

8. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनो के आधार पर निम्नानुसार विवाघक विरचित किए गए:-

तनकी संख्या 1-आया मृतक रामा ने तारीख 30.03.1992 को वसीयतनामा वादीगण के हक में तकमील कर तारीख 01.05.1992 को पंजीयन करवाया। जिससे वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ?

जिम्मे-वादीगण

तनकी संख्या 2-आया प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा तारीख 20.07.2000 को प्रतिवादी संख्या 02 के हक में किया गया बेचान वोर्डड शून्य व निष्प्रभावी है एवं वादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन व बेअसर है ?



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जिम्मे-वादीगण

तनकी संख्या 3- आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

जिम्मे-वादीगण

तनकी संख्या 4-वादीगण के हक में तथाकथित प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का वसीयतनामा संदिग्ध,अव्यवारिक एवं वसीयत कोई एग्जीक्यूटर मुकर्रर न होने से,ऐसे तथाकथित वसीयतनामें में से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है ?

जिम्मे-प्रतिवादी संख्या 01

5.आया वादीगण के हक में तथाकथित वसीयतनामें को प्रोबेट न्यायालय से प्रमाणित नहीं करवाया जाता,तब तक वादीगण का वाद राजस्व-न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं?

जिम्मे-प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादी संख्या 02 भूमि का सद्भाविक खरीददार हैं एवम् सक्षम न्यायालय से मन्सुख नहीं किया जाता हैं तब तक पंजीकृत दस्तावेज के बारे में राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं ?

जिम्मे-प्रतिवादीगण

7.अन्य दादरसी

8.आया वादग्रस्त भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 394 रकबा 4.10 बीघा व खसरा संख्या 395 रकबा 5.05 बीघा कुल रकबा 49.15 बीघा भूमि में वादीगण स्वयं उनके चहेते मित्र, रिश्तेदार इत्यादि प्रतिवादी पूर्णिमादेवी के कब्जा काश्त, आवास, निवास व उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग इत्यादि में दखलदांजी न तो स्वयं करें, न ही ओरो से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी हैं ?

जिम्मे- प्रतिवादी संख्या 07

9.आया वादग्रस्त भूमि में दौराने दावा विचारक प्रतिवादी सुन्दरदेवी व पूर्णिमादेवी के हक हुए दोनो विक्रय-पत्र दस्तावेज दफा 52 टी.पी. एकट से बाधित होने से अवैध व शून्य दस्तावेज है। राजस्व न्यायालय को आज्ञापक व्यादेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण

प्रतिवादी पूर्णिमादेवी का काउन्टर क्लेम खारिज योग्य हैं ?

जिम्मे- वादीगण

9.वादीगण की ओर से वाद पत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW.01 नैनाराम, PW.02 जयरूपाराम, PW.03 नवाराम, PW.04 नाराणलाल, PW.05 शिवाराम, PW.06 शंकरराम के बयानात कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 ग्राम मंडापुरा की खसरा संख्या 384, 385 व 75 की जमाबंदी प्रति, प्रदर्श 02-वसीयतनामा रामाराम द्वारा दिनांक 01.05.1992 प्रति, प्रदर्श 03-प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा के नाम नामान्तकरण भरने

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बाबत प्रति, प्रदर्श 04 व 05 रजिस्ट्री डाक रसीद, प्रदर्श 06 रामाराम द्वारा खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 75 की बेचानपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाई गए।

10.प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW.01 ओमाराम, DW.02 बाबुराम, DW.03 चम्पाराम, DW.04 राणाराम, DW.05 भटाराम, DW.06 बाबुलाल सांखला, DW.07 पूर्णिमा देवी, DW.08 भटाराम, DW.09 महेन्द्रकुमार के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श A1- बेचानपत्र ओमप्रकाश के पक्ष में, प्रदर्श A2 श्रीमति सूजकीदेवी द्वारा लिखित शपथ पत्र प्रति, प्रदर्श A03 बेचानपत्र श्रीमति पूर्णिमादेवी के पक्ष की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

11.हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वक्त बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुतवफी रामा की स्व-अर्जित भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 394, 395 व 75 कुल रकबा 49.05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिस पर रामा का कब्जा-काश्त चला आ रहा था। रामा की पत्नि उकी, जो सोमाराम के साथ नाता चली गई थी,उस समय प्रतिवादी संख्या 01(चम्पा) की उम्र लगभग 01 माह के करीब थी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 उकी के साथ ही चला गया था। रामा, जो वादीगण का सगा काका था,जो वादीगण के साथ ही रहता था। वादीगण ही रामा की सेवा चाकरी करते थे। रामाराम वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम वसीयतनामा उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में पंजीबद्ध करवाया गया तथा वादीगण द्वारा पंजीबद्ध वसीयतनामा की एक प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरने के लिए दी गई थी। हल्का पटवारी ने वादीगण को आश्वस्त किया था कि वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भर दिया जावेगा। वादीगण हल्का पटवारी के जवाब से संतुष्ट होकर वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते रहें। इसी दौरान रामाराम का देहान्त हो गया। जिसका सामाजिक रिति रिवाज की क्रिया-कलाप खर्च भी वादीगण द्वारा किया गया। इसी दौरान प्रतिवादी जो वादीगण से रंजिश रखते थे,मौके का नाजायज फायदा उठाकर तत्कालीन हल्का पटवारी से मिली भगत करते हुए वादग्रस्त भूमि में रामा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में अवैध नामान्तकरण पारित करवा दिया तथा उक्त अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 को बोकस दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया गया। इसके पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 05 को बेचान किया तथा उक्त प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा आगे ओर प्रतिवादी संख्या 07 को भूमि बेचान की गई। उक्त बोकस बेचान-पत्रों के आधार पर प्रतिवादी वादीगण के कब्जा-काश्त में दखलदांजी करने की कोशिश करते रहते हैं,जबकि उक्त अवैध बेचान पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हकूक नहीं बनता है,जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वक्त वसीयतनामा से आदिनांक कब्जा-काश्त चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

रहवासी ढाणी, पानी के टांके, इत्यादि बने हुए हैं। उसके उपरांत भी प्रतिवादी द्वारा साजिश के तहत वादग्रस्त भूमि का अवैध नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम भर दिया गया। जबकि अवैध नामान्तकरण प्रविष्टि के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं, जबकि वादीगण के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा हो रखा है और रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा को न्यायालय से प्रोविट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, जैसा की 1986 RRD 135, 2002(2) RRT 786 में प्रतिपादित किया गया है। रामाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अन्तिम वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में लिखा गया था, इस प्रकार उक्त भूमि पर से हित अधिकार धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अवतरित नहीं हो कर वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी हक अवतरित होंगे। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैध बेचान प्रतिवादी संख्या 02 व 05 को किया गया है, जो वादीगण के हक हिस्सा तक शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। वसीयतनामा रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज हैं, जिसकी वैधता की जांच करने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को प्राप्त नहीं है न प्रतिवादी उक्त दस्तावेज को राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत ही कर सकता है। जब तक वसीयतनामा अस्तित्व में है, वादीगण के हक समाप्त नहीं होते हैं, प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वसीयतनामा को रद्द करवाने हेतु सिविल न्यायालय में दावा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा पेश नहीं किया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का अवैध बेचान दौरान दावा हुआ है, जो कि 52 ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट से बाधित होता है, ऐसे दस्तावेज अपने आप में अवैध व निष्प्रभावी की श्रेणी में आते हैं। वादीगण की ओर से अपने साक्ष्य गवाहान व दस्तावेजी साक्ष्य से अच्छी तरह से साबित किया है कि रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार हैं। अतं में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद माफिक अनुतोष दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री फरमाया जावें। अपनी बहस के समर्थन में 2018(02) RRT 848, 2011(2), RRT 1387, RRT 2002(2) पृष्ठ 787, RRD 1989 पृष्ठ 224, AIR 2007 Rajasthan 73 व राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) पारसमल V/S सोभाग देवी वगैरा निर्णय दिनांक 14.12.2006 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

12. इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5,6 अधिवक्ता की बहस है कि वादीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद लाया गया है, जो चलने योग्य नहीं हैं। क्योंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 394, 395 व 75 कुल रकबा 49.05 बीघा भूमि रामाराम की स्व-अर्जित नहीं होकर पुश्तैनी हैं। रामाराम का प्रतिवादी संख्या 01(चम्पा) जायन्दा संतान हैं, जो रामाराम के साथ ही रहता था। वादग्रस्त भूमि पर रामाराम का ही कब्जा-काश्त रहा था तथा रामा के फौत पर प्रतिवादी संख्या 01 की



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कब्जा-काश्त रही। रामाराम ने अपने जीवनकाल में तीन शादिया की थी। पहले पत्नि राणीदेवी थी, जो 06 माह ही साथ रही थी, फिर नाते चली गई थी। दूसरी शादी प्यारीदेवी से की गई थी, जिसकी कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस कारण रामाराम द्वारा तीसरी शादी उकीदेवी से की गई, जिसकी संतान प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) पैदा हुई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 रामा का जायन्दा संतान हैं। पुश्तैनी भूमि में पिता की सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रीयो के हक जन्म से ही पैदा हो जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) जब 03 वर्ष के करीब उम्र हुई, तब उकी नाते चली गई थी। प्रतिवादी संख्या 01 जब वाल्यावरथा में आने के बाद रामा के साथ ही रहता था तथा रामा की ही सेवा चाकरी करता था, लेकिन वादीगण बदमाश प्रवृत्ति के होने के कारण फर्जी तरीके से वादग्रस्त भूमि की वसीयत दस्तावेज तैयार करवाया गया, जबकि रामाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ऐसा कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करवाया था। उक्त तथाकथित दस्तावेज के आधार पर खातेदारी नहीं मिल सकती हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि रामा के फौत होने पर सामाजिक रीति-रिवाज इत्यादि खर्चे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वहन किया गया। तत्पश्चात् रामा के फौतदगी नामान्तकरण भरने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच कर प्रतिवादी संख्या 01 को रामा का विधिक वारिस मानते हुए वादग्रस्त भूमि में चम्पा का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी घरेलु आवश्यकता की पूर्ति के लिए वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 व 05 को किया गया। उक्त बेचान को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाए बिना हस्तगत वाद-पत्र चल नहीं सकता हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड बेचान-पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया की वादी पक्ष की ओर से जो तथाकथित वसीयतनामा होना बता रहे हैं, उनमें से सूजकीदेवी ने लिखित शपथ पत्र में स्वीकार किया है की रामाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ऐसी वसीयत नहीं लिख कर दी थी। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा-काश्त नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 01 का ही कब्जा-काश्त हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी पक्ष द्वारा फर्जी तरीके से तथाकथित वसीयत तैयार की गई हैं। वादी पक्ष उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि हड़प करना चाहते हैं, जबकि प्रतिवादी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं। रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया हैं, कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक हकूक नहीं बनता हैं। अतं में निवेदन किया की वादीगण का वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में सिविल पीटीशन नम्बर 18/2005 (राज.हाई कोर्ट) विमलकुमार जैन बनाम महावीर प्रसाद जैन निर्णय दिनांक 17.10.2005 की प्रति, 2019(1)आर.आर.टी.184(राज.हाई कोर्ट) झमकू बनाम



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

देवीलाल वगैरा,एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 205/23, निर्णय दिनांक 22.7.2023 प्रति,2024(1)आर.आर.टी.25 (राज.हाई कोर्ट) ग्यारसी बाई बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,ए.आई.आर 201(मध्यप्रदेश) 250 किशनसिंह अहलूवालिया वाम शीला सक्सेना एवं डी.एन.जे. 1998(सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 150 गुरुदयाल कौर बनाम करतार कौर वगैरा के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

13.प्रतिवादी संख्या 07 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया वादीगण की ओर से वाद-पत्र काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लाया गया हैं,क्योंकि वादीगण केवलमात्र तथाकथित वसीयतनामा को आधार बताकर वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का लाया गया है, जो वसीयतनामा अपने आप में फर्जी तरीके से तैयार किया गया है,वल्कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी हैं,जो रामा पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज थी,रामा के फौत होने पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा-काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या 394 व 395 कुल रकबा 9.15 बीघा भूमि का सप्रतिफल प्राप्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 06 (सुन्दर देवी) को बेचान किया गया तथा वक्त खरीद कब्जा सुपुर्द कीया गया तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा उक्त खसरा 394 व 395 की भूमि आगे बेचान प्रतिवादी संख्या 07 को जरिए रजिस्ट्री विक्रय-पत्र की गई ओर वक्त खरीद से आदिनांक प्रतिवादी संख्या 07 (पूर्णमा देवी) का कब्जा-काश्त चला आ रहा हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हकूक नहीं बनता हैं। इस कारण प्रतिवादी के पक्ष में वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आंशय की जारी की जावें, कि प्रतिवादी के कब्जा-काश्त में वादीगण किसी प्रकार की रोक-टोक व दखलदांजी नहीं क। अतं मे निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

14.हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया की वादीगण की ओर से वाद-पत्र रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया की पुत्रवफी रामा का जायंदा पुत्र चंपा होने के कारण पुश्तैनी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 (चंपा) का जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे और रामा के फौत होने पर विधि अनुरूप ही वादग्रस्त भूमि में चंपा का नाम दायर हुआ तथा रामा द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में वसीयत नहीं गई थी। उक्त वसीयतनामा फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी के उजर-एतराज का निस्तारण दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूतो के आधार पर निर्धारित तनकीवार किया जा रहा हैं

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालांतय

तनकी संख्या 1—आया मृतक रामा ने तारीख 30.03.1992 को वसीयतनामा वादीगण के हक में तकमील कर तारीख 01.05.1992 को पंजीयन करवाया। जिससे वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ?

जिम्मे—वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है,वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW.01 से PW.06 के बयानात कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 07 पेश किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 384,385 व 75 रामा वल्द मोती की खातेदारी में दर्ज हुए थे,जो पत्रावली के संलग्न पर्चा लगान अवलोकन से प्रतीत होता है,इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी हैं। मुतवफी रामा का प्रतिवादी संख्या 01 (चंपा) जायदा संतान हैं। जिसे वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र एवं बयानात् इत्यादि में स्वीकार किया हैं। इस प्रकार रामा वल्द मोती कौम भील की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे, लेकिन रामा द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 384,385 व 75 कुल रकबा 49.05 बीघा वादीगण के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 30.03.1992 को तकमील कर दिनांक 01.05.1992 को उप-पंजीयन कार्यालय पचपदरा में पंजीबद्ध करवाए गए। जबकि रामा को सम्पूर्ण भूमि वसीयत करने को कोई विधिक हक-हकूक प्राप्त नहीं था,क्योंकि रामा का पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 (चंपा) जीवित था,जिसका वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा निहित हो गया था। इसके उपरांत भी मुतवफी रामा द्वारा संपूर्ण भूमि वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दी गई। जो की विधि-सम्मत नहीं मानी जा सकती हैं। वादी पक्ष की ओर से बयानात गवाह में स्वयं वादी नैनाराम, जयरूपाराम, नवाराम, नारायणलाल शिवाराम एवं शंकरराम द्वारा बयानात् दिए गए तथा प्रतिवादी वकील द्वारा उक्त गवाहान से लम्बी जिरह की गई। जिसमें गवाहान अपने बयानों से विचलित भी हुए। वादी पक्ष ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा को सही होना साबित करने का प्रयास किया गया। प्रतिवादी पक्ष वसीयतनामा को संदिग्ध पंजीबद्ध करवाए जाने साबित करने के प्रयास किए गए। इस संदर्भ में न्यायालय हाजा का मत है,कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा सही हैं अथवा गलत् इस बिन्दु का निस्तारण राजस्व न्यायालय करने के लिए सक्षम नहीं हैं और न ही रजिस्टर्ड वसीयतनामा को विधिक होना प्रमाणिक किया जा रहा हैं। इसके लिए उभय-पक्षकारान सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयतनामा की वैधता को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है,लेकिन हस्तगत प्रकरण पर ऐसा प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है,जिससे प्रतीत होता हो कि वसीयतनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी हो। ऐसी सूरत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में हो रखा हैं। उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है,परन्तु सम्पूर्ण भूमि नहीं होकर चंपा के हक अधिकार की



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) चण्डीगढ़

भूमि को छोड़ते हुए शेष 1/2 हिस्सा भूमि तक की खातेदारी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त तनकी वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करने में सफल रहने के कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02—आया प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा तारीख 20.07.2000 को प्रतिवादी संख्या 02 के हक में किया गया बेचान वॉर्ड शून्य व निष्प्रभावी है एवं वादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन व बेअसर है ?

जिम्मे—वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वाद-पत्र व जवाबुल जवाब एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुतवफी रामा का प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) जायन्दा संतान हैं तथा मुतवफी रामा की जायन्दा संतान के आधार पर राजस्व अधिकारियों ने बाद जांच रामा की सम्पति में चम्पा का जायन्दा संतान के आधार पर नामान्तकरण पारित किया गया था, जिसका वह उत्तराधिकारी भी था। इस प्रकार रामा की सम्पति में चम्पा का हक हकूक के स्वमत्व के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे, तथा रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हुआ था। उक्त नामान्तकरण को वादी पक्ष की ओर से चुनौती भी नहीं दी गई। इस प्रकार चम्पा वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व प्राप्ति के बाद भूमि बेचान करने का अधिकार था, लेकिन यहां स्पष्ट किया जाता है कि चम्पा जो कि प्रतिवादी संख्या 01 रामा का जायन्दा पुत्र था तथा वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा प्राप्ति का ही हकदार था अर्थात् कुल भूमि में लगभग 25 बीघा भूमि का हकदार था। उस द्वारा अपने हक हिस्से 20 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 को किया गया था, जो कायम तनकी संख्या 02 के दायर में नहीं आता है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादी पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा है, क्योंकि वादी पक्ष केवलमात्र वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना चाह रहे हैं, जो कि मुतवफी रामा सम्पूर्ण भूमि वसीयत करने का हकदार नहीं था। उपरोक्त विवेचन के उपरांत तनकी संख्या 02 वादीगण साबित करने में असफल रहे है।

तनकी संख्या 3—आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

जिम्मे—वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबन्ध में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है जिसमें ऊपर वर्णित कायम तनकी संख्या 01 वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करवाने में सफल रहे है। साथ ही वादी पक्ष के वादपत्र व जवाबुल जवाब एवं बयानात के अवलोकन से यह कही साबित नहीं हो पाया की प्रतिवादी पक्ष वादीगण की भूमि में दखलदांजी कर रहे हो, जबकि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण का मुख्य वाद का बिन्दु वसीयतनामा के आधार पर हैं। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण के पक्ष में वसीयत की गई हैं, जो कि शेष तनकीयात के विवेचन पर साबित होनी हैं, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं बयानात के आधार पर उक्त तनकी वादी पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 व 5— सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से वेचने के लिए उक्त दोनों तनकीयात का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

तनकी संख्या 4—वादीगण के हक में तथाकथित प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का वसीयतनामा संदिग्ध, अव्यवारिक एवं वसीयत कोई एग्जीक्यूटर मुकर्रर न होने से, ऐसे तथाकथित वसीयतनामों में से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ?

जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 01

तनकी संख्या 5—आया वादीगण के हक में तथाकथित वसीयतनामों को प्रोबेट न्यायालय से प्रमाणित नहीं करवाया जाता, तब तक वादीगण का वाद राजस्व—न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं ?

जिम्मे—प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाहान ने अपने-अपने बयानात में वादग्रस्त भूमि के संबध में रजिस्टर्ड वसीयतनामा को संदिग्ध होना बताया हैं अर्थात् वादग्रस्त भूमि के संबध में पंजीबद्ध वसीयतनामा को सही होना स्वीकार नहीं किया है। इसके विपरीत वादी पक्ष ने अपने समर्थन में स्वयं वादी के बयानात एवं स्वतंत्र गवाहान ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा को सही होना बताया है तथा उभय-पक्षकारान ने अपने-अपने समर्थन में वसीयतनामा को सही होना व नहीं होना के समर्थन में विस्तृत बयानात भी दिए गए हैं। बयानात पर विस्तृत जिरह भी कह गई है, लेकिन न्यायालय हाजा का मत है कि राजस्व न्यायालय मौखिक साक्ष्य से ज्यादा दस्तोवजी साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना युक्ति-युक्त मानता है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन करने पर यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के संबध में रजिस्टर्ड वसीयतनामा हो रखा हैं। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा सही हैं अथवा नहीं, इसका निष्कर्ष राजस्व न्यायालय नहीं कर सकता है, इसके लिए पक्षकारान सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात इत्यादि से यह तो प्रमाणित है कि रामा का चम्पा जायंदा पुत्र था, रामा को सम्पूर्ण सम्पति वसीयत करने को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इसके विपरीत जाकर सम्पूर्ण भूमि वसीयत की गई, जो कि प्रतिवादी चम्पा के हक हकूक से अधिक शून्य एवं निष्प्रभावी है, जो राजस्व न्यायालय निर्धारण करने में सक्षम हैं। उपरोक्त विवेचन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपरांत उक्त तनकी का इस निष्कर्ष के साथ निस्तारण की जाती है कि रामा वादग्रस्त भूमि में आधा हक हिस्सा तक ही वसीयत करने का हकदार था।

तनकी संख्या 6—आया प्रतिवादी संख्या 02 भूमि का सदभाविक खरीददार हैं एवं सक्षम न्यायालय से मन्सुख नहीं किया जाता है, तब तक पंजीकृत दस्तावेज के बारे में राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ?

जिम्मे—प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष को साबित करने के लिए 09 गवाहान के बयानात करवाए गए। उक्त गवाहान ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए लम्बे बयानात कलमबद्ध करवाए तथा वादी पक्ष की ओर से भी लम्बी जिरह की गई, जो कि न्यायालय हाजा का मत है कि राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण मौखिक साक्ष्य से ज्यादा दस्तोवजी साक्ष्य के अभिमत पर किया जाता है। जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रामा के फौत होने पर उसका जायन्दा संतान के आधार पर उत्तराधिकारी अधिकार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए तथा प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 20 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया गया, जो कि अपने हिस्से अनुसार किया गया है, उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय के निरस्त करवाए बिना राजस्व न्यायालय पंजीकृत दस्तोवजात के बारे में विचारण किया जाना उचित नहीं समझता है अर्थात् यहां स्पष्ट किया जाता है कि कोई खातेदार अपने हक हिस्से के अन्दर बेचान करता है, तो राजस्व न्यायालय उक्त दस्तावेजात की वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता है, यदि खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करता है, तो राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, कि ऐसे बेचान को निष्प्रभावी कर सकता है, लेकिन वादग्रस्त भूमि में प्रथम बेचान प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में अपने हक—हिस्सा के अन्दर प्रतिवादी चम्पा द्वारा किया गया है, जो कि प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जिसकी सुनवाई राजस्व न्यायालय करने में सक्षम है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त तनकी प्रतिवादी पक्ष साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 7— अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

तनकी संख्या 8—आया वादग्रस्त भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 394 रकबा 4.10 बीघा व खसरा संख्या 395 रकबा 5.05 बीघा कुल रकबा 49.05 बीघा भूमि में वादीगण स्वयं उनके चहेते मित्र, रिश्तेदार इत्यादि प्रतिवादी पूर्णिमादेवी के कब्जा काशत,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आवास, निवास व उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग इत्यादि में दखलदांजी न तो स्वयं करें, न ही ओरो से करावें। इस आशय की रथाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी हैं ?

जिम्मे- प्रतिवादी संख्या 07

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 07 पर हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन करने से स्पष्ट होता है, कि वादीगण वसीयतनामा के आधार पर सम्पूर्ण भूमि अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिए वाद पत्र पेश किया गया है, जबकि पत्रावली व संलग्न रिकार्ड, दस्तावेजात एवं बयानात के अवलोकन से यह भली-भांति साबित है, कि मुतवफी रामा को अपनी खातेदारी भूमि रकबा 49.05 बीघा भूमि का आधा हिस्सा तक वसीयतनामा करने का अधिकार था, लेकिन उस द्वारा सम्पूर्ण भूमि वसीयत की गई हैं, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा में आधा हिस्सा वादीगण व आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 प्राप्ति करने का हकदार बनते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 (चम्पा) भी सम्पूर्ण भूमि प्राप्ति का हकदार नहीं बनता था, लेकिन रिकॉर्ड में नाम दायर होने के उपरांत उस द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान शून्य एवं अप्रभावी रहेगा। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वसीयतनामा की वैधता के बिन्दु का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, उक्त बिन्दु का निस्तारण सक्षम सिविलि न्यायालय में उभय-पक्षकारान उजर एतराज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि किस्म हैं, जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त हैं। ऐसे प्रकरण में विधि में निहित प्रावधानों के तहत राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने के लिए सक्षम हैं, जो कि हस्तगत प्रकरण में किया जा रहा हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 07 यह कहीं साबित नहीं कर पाए हैं, कि उनकी खातेदारी भूमि में दखलदांजी की जा रही है, केवलमात्र मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं, उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य में सबूत होना अति-आवश्यक होता हैं। ऐसी सूरत में उक्त तनकी उनके विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 9-आया वादग्रस्त भूमि में दौराने दावा विचारक प्रतिवादी सुन्दरदेवी व पूर्णिमादेवी के हक हुए दोनो विक्रय-पत्र दस्तावेज दफा 52 टी.पी. एकट से बाधित होने से अवैध व शून्य दस्तावेज है। राजस्व न्यायालय को आज्ञापक व्यादेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रतिवादी पूर्णिमादेवी का काउन्टर क्लेम खारिज योग्य हैं ?

जिम्मे- वादीगण

इस विवादयक बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात से यह भली-भांति पता चलता है कि वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 394 व 395 कुल रकबा 9-15 बीघा भूमि की खातेदार सुन्दरदेवी द्वारा पूर्णिमादेवी को उक्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतपा,

सम्पूर्ण भूमि बेचान जरिए रजिस्ट्री दिनांक 25.11.2000 को किया गया, जो कि प्रदर्श A3A से पता चलता है। इस कारण उक्त हस्तान्तरण दौरान दावा हुआ है, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से आंशिक बाधित श्रेणी में आता है, लेकिन न्यायालय हाजा यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी चम्पा अपना आधा हिस्सा अर्थात् कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा बेचान करने का उत्तराधिकारी था, उससे अधिक बेचान अपने आप में वादीगण के हक हिस्से तक निष्प्रभावी रहेगे। इसी प्रकार राजस्व न्यायालय को आज्ञापक ब्यादेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी पूर्णिमादेवी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जा सके। ऐसे सूरत में उक्त तनकी वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करने में सफल रहे है।

15. अनुतोष:—उपयुक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा का निर्णय सार इस प्रकार है कि मुत्तवफी रामा पुत्र मोती का एकमात्र वारिस चंपा था, रामा के फौत होने पर वारिस की हैसियत के तौर पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। चूंकि रामा द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का जरिए रजिस्टर्ड वसीयतानामा वादीगण के पक्ष में किया गया था, लेकिन विधि में निहित प्रावधानों के तहत रामा अपने 1/2 हिस्से से अधिक वसीयत करने का अधिकार नहीं रखता था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा रामा व 1/2 हिस्सा चंपा का बनता था। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा तक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार बनते है तथा रामा का वारिस चंपा जिसका 1/2 हिस्सा बनता है, इसी हद तक बेचान को कानूनी रूप से सही ठहराया जाता है। इस प्रकार रामा के वारिस चंपा द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 (ओमाराम) को प्रथम बेचानपत्र दिनांक 20.7.2000 खसरा संख्या 75 में से रकबा 20 बीघा भूमि एवं द्वितीय बेचानपत्र दिनांक 21.5.2007 सुन्दरदेवी पत्नि राणाराम को खसरा संख्या 394 व 395 कुल रकबा 9.15 बीघा भूमि का किया गया। रामा के वारिस चंपा को अपने 1/2 हिस्से अर्थात् कुल भूमि में 25 बीघा भूमि बेचान करने का हकदार था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 (चंपा) द्वितीय बेचान सुन्दरदेवी को 5 बीघा तक करने का हकदार था, उससे अधिक बेचान का हकदार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 01 (चंपा) द्वारा 25 बीघा भूमि से अधिक बेचान अपने आप में शून्य एवं अप्रभावी की श्रेणी में आते है। पक्षकारान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण वाद-पत्र में कायम तनकीयात आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने में सफल रहे है तथा प्रतिवादी पक्ष भी अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में आंशिक सफल रहे है। अतः वादीगण के वाद-पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 75 रकबा 39.10 बीघा (जिससे विभक्त होकर बने खसरा संख्या 2600/75, 2601/75, 1516/1438, 1517/1438) भूमि में खसरा संख्या 2600/75 व 2601/75 प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में यथावत रखे जाते हैं। इसी प्रकार इसी ग्राम की खसरा संख्या 394 प्रतिवादी संख्या 07 की खातेदारी में यथावत रखा जाता है तथा खसरा संख्या 395 व मूल खसरा संख्या 75 में से (वर्तमान खसरा संख्या 1516/1438, 1517/1438) प्रतिवादी संख्या 01(चंपा) द्वारा अपने हिस्से से अधिक किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए उक्त खसरान की भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है, कि नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।



निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्ली-पच्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 99/2000

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2000/00003

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1.जैनाराम पुत्र घमण्डाराम
2.भांगीलाल पुत्र घमण्डाराम
3.विश्वनारायण पुत्र घमण्डाराम
4.सुजक्षी पत्नि शिविधा
जाति भील निवासी पंचपदरा
तहसील पंचपदरा

1.चम्पाराम पुत्र रामाराम जाति भील
निवासी पंचपदरा जिला बालोतरा
2.ओभाराम पुत्र बाबुराम जाति भील
निवासी पंचपदरा जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए
3/1.तहसीलदार पंचपदरा
3/2.हल्का पटवारी पंचपदरा
4.कमलादेवी पत्नि जैसाराम
जाति भील निवासी पंचपदरा
तहसील पंचपदरा जिला बालोतरा
5.सूजोदेवी पत्नि भटाराम
जाति भील निवासी पंचपदरा
तहसील पंचपदरा जिला बालोतरा
6.सुन्दरदेवी पत्नि राणाराम
जाति भील निवासी पंचपदरा
तहसील पंचपदरा जिला बालोतरा
7.पूर्णिमादेवी पत्नि राणाराम
जाति भील निवासी जागसा
तहसील पंचपदरा जिला बालोतरा



राजस्व वाद बाइल-88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 99/2000

निर्णय दिनांक :- 12.08.2025

वादीगण की ओर से श्री घेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5,6 की ओर से श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से श्री उम्मेदसिंह पंचावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 12.8.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-
 वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,168 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 मती भांति
 साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया
 जाता है तथा ग्राम मंडापुरा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 75 रकबा 39.10 बीघा
 (जिससे विभक्त होकर बने खसरा संख्या 2600/75, 2601/75, 1516/1438, 1517/1438)
 भूमि में खसरा संख्या 2600/75 व 2601/75 प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में यथावत
 रखे जाते हैं। इसी प्रकार इसी ग्राम की खसरा संख्या 394 प्रतिवादी संख्या 07 की खातेदारी
 में यथावत रखा जाता है तथा खसरा संख्या 395 व मूल खसरा संख्या 75 में से (वर्तमान
 खसरा संख्या 1516/1438, 1517/1438) प्रतिवादी संख्या 01(चंपा) द्वारा अपने हिस्से से
 अधिक किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए उक्त खसरा की भूमि
 वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार पंचपदरा को निर्देशित किया
 जाता है, कि नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।
 यह आज तारीख 12.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 12/08/25

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादीगण | |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3. प्लीडर की फीस | |
| 4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | 5. आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | 6. कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | — | जोड़ | — |

(एस.डी.ओ.) बालोतरा
 12/08/25